न्यायालय अपर जिला कलक्टर, बालोतरा
पीठासीन अधिकारी : नानू राम सैनी (आर.ए.एस.)

राजस्व अपील सं. 24/2023

अपीलांटगण–

1. लाखाराम पुत्र पूराराम
2. सोनी देवी पत्नी पूराराम
3. गेनाराम पुत्र केसराराम
4. कानाराम पुत्र केसराराम
5. किरताराम पुत्र भूराराम
6. जसराज पुत्र भूराराम
7. तुलछाराम पुत्र भूराराम
8. प्रताप पुत्र भूराराम
   नाबालिग जरिये कुदरती वलिया माता अणसी पत्नी भूराराम
9. अणसी पत्नी भूराराम
10. दगी पत्नी कलाराम
11. रूखमों पत्नी दमाराम
12. प्रभुराम पुत्र पूराराम फौत के कायम मुकाम

12/1 ओमप्रकाश पुत्र प्रभुराम
12/2 धर्माराम पुत्र प्रभुराम
12/3 मोहन पुत्र प्रभुराम
12/4 जमनादेवी पत्नी प्रभुराम

13. आदूराम पुत्र नगाराम
    जातियान जाट निवासियान सेवनियाला तहसील बायतु जिला बालोतरा।

बनाम

उत्तरदाता–

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बायतु जिला बालोतरा।

राजस्व प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्ध आदेश क्रमांक– शिविर/2004/227 दिनांक 28.12.2004 तहसीलदार बायतु द्वारा पारित किया गया।

न्यायालय अपर कलक्टर बालोतरा (राज.)

अतिरिक्त जिला कलक्टर
बालोतरा

उपस्थिति :–

1. श्री कुम्भसिंह चौधरी, अधिवक्ता अपीलांटगण की ओर से उपस्थित।
2. उतरदाता तहसीलदार बायतु, फॉरमल पक्षकार होने से उपस्थिति आवश्यक नहीं।

आदेश

दिनांकः– 04.09.2024

1. पत्रावली पेश हुई। अपीलांटगण के अधिवक्ता उपस्थित। उतरदाता फॉरमल पक्षकार होने से उपस्थिति आवश्यक नहीं। पत्रावली का संक्षिप्त में विवरण इस प्रकार है कि अपीलांटगण हिन्दू विधि से शासित है जिनका पैतृक संयुक्त खातेदारी खेत मूल खसरा नम्बर 291, 292 संयुक्त रकबा क्रमशः 08 बिस्वा, 296.11 बीघा सरहद मौजा सेवनियाला पटवार हल्का सेवनियाला तहसील बायतु व खेत खसरा संख्या 233 रकबा 63.03 बीघा मौजा खवालिया नाडा पटवार हल्का बोडवा तहसील बायतु में आये हुए है। उक्त भूमि अपीलांटगण हो विरासत में प्राप्त हुई है। अपीलांटगण ने वादग्रस्त खेत का मौके पर कब्जा काश्त अनुसार बंटवाड़ा कर पृथक–पृथक खातेदारी अंकन करने का प्रस्ताव रखा। जिस पर सभी अपीलांटगण ने सहमति प्रकट कर विभाजन प्रस्ताव तैयार करवाकर प्रशासन गांवों के संग शिविर में उतरदाता तहसीलदार बायतु के समक्ष विभाजन प्रस्ताव प्रस्तुत किया। जिस पर तहसीलदार बायतु द्वारा बंटवाड़ा आदेश **क्रमांक – शिविर/2004/227 दिनांक 28.12.2004** को पारित कर दिया। जिस पर संबंधित पटवारी हल्का द्वारा नामान्तरकरण कर पक्षकारों के हिस्से में आदेश का इन्द्राज कर दिया गया।

वर्तमान में अपीलांटगण द्वारा अपने हिस्से की भूमि की पटवारी हल्का से पैमाईश करवाई तो अपीलांटगण के मौके पर कब्जा काश्त व नक्शे की तरमीम में भारी भिन्नता होना पटवारी हल्का ने बताया। जिस पर अपीलांटगण को सर्वप्रथम उक्त गलत रूप से हुये विभाजन की जानकारी हुई। जिससे व्यथित होकर अपीलांटगण ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है।

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बालोतरा

2. इस न्यायालय द्वारा प्रकरण को दर्ज कर उतरदाता को जरिये नोटिस तलब कर विवादित भूमि का मूल राजस्व रेकर्ड प्राप्त करने हेतु मिसल चिटठी लिखी गई। जिसकी पालना में उतरदाता द्वारा मूल राजस्व रेकर्ड प्रेषित किया गया और न्यायालय द्वारा प्राप्त कर शामिल पत्रावली किया गया। अधिवक्ता अपीलांटगण दौरान बहस उपस्थित हुए और अवगत कराया कि उक्त भूमि के बंटवाड़ा प्रस्ताव में संबंधित पटवारी हल्का द्वारा नक्शे को मौके पर पक्षकारान के कब्जे काश्त के अनुसार तैयार नहीं किया गया था। जिसकी अपीलांटगण के अनपढ़ होने के कारण उनकी ध्यान में नहीं आया। अपीलांटगण द्वारा विभाजन पटवारी हल्का द्वारा तैयार नक्शा को सही मानते हुए हस्ताक्षर व अंगुष्ठ निशान कर तहसीलदार बायतु के समक्ष पेश किया गया।

3. हमनें अधिवक्ता अपीलांटगण की बहस सुनी और बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रेकर्ड नामान्तरकरण रजिस्टर मय नजरी नक्शा की प्रमाणित प्रति एवं मूल बंटवाड़ा आदेश को ध्यान में रखते हुए तथा पत्रावली के गहन अध्ययन उपरांत पाया कि मौजा सेवनियाला पटवार हल्का सेवनियाला के खेत खसरा संख्या 291, 292 संयुक्त रकबा क्रमशः 08 बिस्वा, 296.11 बीघा व मौजा खवालिया नाडा पटवार हल्का बोडवा के खेत खसरा संख्या 233 रकबा 63.03 बीघा भूमि का बंटवाड़ा आदेश क्रमांक – **शिविर/2004/227 दिनांक 28.12.2004** को पारित किया गया था जिसकी पालना में राजस्व रेकर्ड (जमाबंदी) में बंटवाड़ा आदेश को अमलदरामद किया गया था। चूंकि अपीलांटगण की मुख्य आपत्ति है, कि बंटवाड़ा मौके पर कब्जा काश्त के विपरीत हुआ है। कानून की मंशा है कि राजस्व रेकर्ड व मौका स्थिति समानान्तरं होनी चाहिए, ताकि एकरूपता बनी रहें। अपीलांटगण अपीलाधीन आदेश निरस्त करवाकर मौके पर कब्जा काश्त स्थिति एवं राजस्व रेकर्ड अनुसार बंटवाड़ा चाहता है। ऐसी सूरत में अपीलांटगण की अपील का निस्तारण किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता

न्यायालय अपर कलक्टर बालोतरा (राज.)

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बालोतरा

लिहाजा अपीलांटगण की अपील अन्दर म्याद शुमार कर आंशिक स्वीकार की जाकर तहसीलदार बायतु के आदेश क्रमांक – **शिविर/2004/227 दिनांक 28.12.2004** को अपास्त किया जाता है और प्रकरण इस दिशा निर्देश के साथ तहसीलदार बायतु को प्रति प्रेषित किया जाता है कि पक्षकारान के मौके पर कब्जे काश्त अुनसार एवं हिस्सा अनुसार सभी पक्षकारो की उपस्थिति में भूमि का विभाजन आदेश एवं नक्शे में अंकित करते हुए पुनः विधिवत नये सिरे से आदेश पारित करें।

निर्णय आज दिनांक **04.09.2024** को खुले न्यायालय मे मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो और दर्ज नम्बर से कम हो।

(नानू राम सैनी)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बालोतरा

न्यायालय अपर कलक्टर बालोतरा (राज.)